वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 03.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 03.04.2025

वीडीए ने तीन अवैध निर्माण किए सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को तीन अवैध निर्माण सील किए गए। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि भेलूपुर वार्ड के भदैनी में विरेंद्र कुमार मालू और चेतमणि चौराहा पर दो जगहों पर बगैर नक्शा पास अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जिसे वीडीए की टीम ने सील किया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार की अगुवाई में अवैध निर्माण सील किए गए। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 03.04.2025

वीडीए के ड्राइवर समेत चार पर केस

वाराणसी। पांडेयपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में विवाद हो गया। सत्यनारायण प्रसाद ने कैंट पुलिस को बताया कि वर्ष 2015 में मकान खरीदा था, जो चारों ओर से बाउंड्री से घिरा था। 3 फरवरी 2025 की सुबह विपक्षीगण किशन पाल, पवन पाल, विक्की पाल, प्रियांशु उर्फ रसगुल्ला और डब्लू पाल ने पश्चिमी बाउंड्री तोड़ दी उनसे गाली-गलौज की। मुख्य आरोपी किशन पाल वीडीए में वाहन चालक है।

हिन्दुस्तान–दि0 03.04.2025

वीडीए की नहीं, यह निजी कॉलोनी है

भुवनेश्वर नगर कॉलोनी वीडीए की नहीं है। यह निजी कॉलोनी है, नगरीय सीमा में होने के कारण वहां बुनियादी सुविधाएं नगर निगम मुहैया कराता है। वीडीए की जिम्मेदारी भवन का नक्शा स्वीकृत करने तक है। -पुलकित गर्ग, वीडीए उपाध्यक्ष

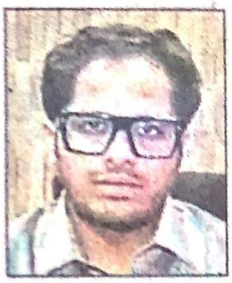

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 03.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पर्वतन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी। विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-4, वार्ड- भेलूपुर की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड- भेलूपुर के

अन्तर्गत विरेंद्र कुमार मालू, द्वारा आराजी नं0 442/4, मौजा-भदैनी, भवन सं0-बी-27/87-8 व बी - 87/8 ए, चेतमणि चौराहा, थाना-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में क्षेत्रफल 1056 स्क्वयर मीटर में तृतीय तल एवं चतुर्थ तल का निर्माण कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग का कार्य बिना स्वीकृत मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत जिसे बुधवार को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 03.04.2025

चितरंजन पार्क के सौन्दर्यीकरण व उच्चीकरण के लिए विभिन्न सिविल एवं औद्यानिक कार्य का शिलान्यास

वाराणसी । गोदौलिया स्थित चितरंजन पार्क के सौन्दर्यीकरण तथा दशाश्वमेध प्लाजा के दुकानों के ऊपर विभिन्य सूचक बोर्ड लगाने का कार्य का शिलान्यास विधायक नीलकंठ तिवारी जी द्वारा किया गया। इस निर्माण कार्य की कुल लागत 17,99000,00 (17 लाख 99 हजार रु0) है। इस परियोजना में पेड़ के चारों तरफ बैठने की कर्वड बेन्च, बिजली पैनल को एम0एस0 जाली लगाकर वर्क करना, पाथवे पर पैराबोला का निर्माण कार्य, सी0एन0सी0 कट जाली लगाने का कार्य, ग्रास पेवर लगाने का कार्य, स्टोन क्रेडिंग, वृक्षारोपण का प्रस्तावित है ।शिलान्यास के अवसर पर विधायक नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे।मौके पर अधिशासी अभियंता अरविन्द शर्मा, अवर अभियंता संजय गुप्ता, जूनियर एसोसिएट इंजिनियर रोहित जायसवाल उपस्थित रहे ।

न्यायाधीश–दि0 03.04.2025

वीडीए जोन-4 की टीम ने की अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-4, वार्ड- भेलूपुर की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड- भेलूपुर के अन्तर्गत विरेंद्र कुमार मालू, द्वारा आराजी नं0 442/4, मौजा- भदैनी, भवन सं0-बी-27/87-8 व बी -87/8 ए, चेतमणि चौराहा, थाना-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में क्षेत्रफल 1056 स्क्व्यर मीटर में तृतीय तल एवं चतुर्थ तल का निर्माण कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग का कार्य बिना स्वीकृत मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर 30 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत जिसे आज दिनांक 02/04/2025 को 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया ।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार उपस्थित रहे । उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।